

न्यायालय अति० जिला कलक्टर एवं अति जिला मजि

फर्द अहकाम

सरकार बनाम राधावनारकरों

मुकदमा संख्या

०१/२०२३ - प्राचीन पत्र धारा १५२ वा०डी०

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	०९/१०/२५	<p>अंकित है न्यायालय अति० जिला कलक्टर-युतुम जयपुर के निर्णय दिनांक २६-११-२०१५ में भी ख० न० ७२३ रफवा ०१ विस्था अंकित है तहसील डार इ इ से तत्पश्चात् की गई खतोनी संशोधन सम्वत २०१६ से २९ मे ख० न० ७२३ का रफवा ०१ विस्था कर्त है उपरोक्त तपको के विवेचन पश्चात् प्राचीन का प्राचीन १५२ वा०डी० स्वीकार योग्य नहीं पाते है अतः प्राचीन का प्राचीन पत्र शर्तगत धारा १५२ CPC आधारहीन होने से खारिज किया जाना है पत्रावली के मूल शुभारंभ होकर कर्त गमक से कम है न्यायालय ADM युतुम जयपुर की मूल पत्रावली वापिस लौटाई जावे।</p> <p style="text-align: right;">अतिरिक्त जिला कलक्टर दूध</p>